



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2009/वैशाख 11, 1931

No. 688]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2009/VAISAKHA 11, 1931

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2009

का.आ.1133(अ).—यह कि केन्द्र सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (ii) के अन्तर्गत, अपने दिनांक 13 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 1014 (अ) द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कतिपय एजेंसियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विदेशी स्रोत न माना जाए ;

अब, केन्द्र सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित एजेंसियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संगठनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विदेशी स्रोत न माना जाए और इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 13 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1014(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

सन्दर्भित अधिसूचना में क्रम संख्या 104 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएँ एवं प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ अर्थात्:—

105. वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन (डब्ल्यू टी. ओ.) जेनेवा, स्विट्जरलैंड ।
106. इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आई. एस. ओ.), जेनेवा, स्विट्जरलैंड ।
107. कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज़ (सी.एफ.सी.), एमस्टरडम, नीदरलैंड ।

108. इंटरनेशनल कॉटन एडवाइज़री कमेटी, वाशिंगटन, युनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ।

109. दि ग्लोबल फंड टू फाईट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, जेनेवा, स्विट्जरलैंड ।

[फा. सं. II/21022/9(1)/2008-एफ.सी.आर.ए. III (पी) ]

अशीम खुराना, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या का.आ. 1014(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2000 को प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2009

S.O.1133(E).—Whereas, the Central Government has specified, under sub-clause (ii) of clause (e) of sub-section (1) of Section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), certain agencies of the United Nations and other international organisations not to be treated as foreign source for the purpose of the said Act, *vide* its notification number S.O. 1014 (E), dated the 13th November, 2000;

Now, in exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of sub-section (1) of Section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, the Central Government, hereby specifies that the following agencies of the United Nations and other international agencies and organisations shall not be treated as

foreign source for the purposes of the said Act ;and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number. S.O. 1014 (E), dated the 13th November, 2000, namely :

In the said notification, after the serial number 104 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

- “105. World Trade Organisation (WTO), Geneva, Switzerland.
106. International Organisation for Standardisation (ISO), Geneva, Switzerland.

107. Common Fund for Commodities (CFC), Amsterdam, The Netherlands.
108. International Cotton Advisory Committee, Washington, United States of America.
109. The Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and Malaria, Geneva, Switzerland.

[F. No . II/21022/9(1)/2008-FCRA. III (P)]

ASHIM KHURANA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was Published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O.1014 (E), dated the 13th November, 2000.